# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

भगाराम पुत्र जोधाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : /2026

अन्तर्गत धारा : – 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30-3-26 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम लूणी के खसरा संख्या 189 में गलत नाम शुद्धि करने का निवेदन किया है। तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक भू.अ./2026/667 दिनांक 04.03.2026 के द्वारा प्रार्थी श्री भगाराम पुत्र जोधाराम पटेल निवासी लूणी के प्रार्थना पत्र के संबंध में धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट अनुसार हस्तगत प्रकरण में रैकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी संवत 2062–65 तक खातेदारों के नाम सही थे लेकिन संवत 2066–69 पूनाराम का नाम दोहरा होने एवं संवत 2070–73 प्रभुराम का नाम जुड़ जाने के कारण जमाबंदी संवत 2074–77 में सेग्रीगेशन के दौरान प्रभुराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/6 गलत दर्ज हो गया। वर्तमान खाता संख्या 145 ग्राम लूणी के खसरा संख्या 189 के राजस्व रैकर्ड में खीमाराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा. देह खातेदार, चतुराराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा. देह खातेदार, जोधाराम पुत्र पूनाराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा देह खातेदार तथा तेजाराम पुत्र अणदाराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा. देह खातेदार के अनुसार रैकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित बताया है।<br><br>अतः तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं संबंधित पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैकर्ड दुरूस्ती हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम लूणी के खसरा संख्या 189 के राजस्व रैकर्ड में खीमाराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा. देह खातेदार, चतुराराम पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा. देह खातेदार, जोधाराम पुत्र पूनाराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा देह खातेदार तथा तेजाराम पुत्र अणदाराम हिस्सा 1/4 जाति पटेल सा. देह खातेदार शुद्ध कर रैकर्ड दुरूस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>हंसमुख कुमार आर. ए. एस.<br>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी<br>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी | |